connected therewith or incidental thereto, and also further to amend the Reserve Bank of India Act, 1934, and the State Bank of India Act, 1955".

The motion was adopted.

SHRI JAGANNATH PAHADIA : I introduce the Bill.†

12.55 HOURS

CIVIL DEFENCE BILL*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): On behalf of Shri Y. B. Chavan, I beg to move for leave to introduce a Bill to make provision for civil defence and for matters connected therewith.

MR. SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill to make provision for civil defence and for matters connected therewith".

The motion was adopted

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : I introduce the Bill.

11.56 hrs.

COMMITTEE ON PRIVILEGES
FOURTH REPORT

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं चौथी लोक सभा की विशेषाधिकार समिति की चौथी रिपोर्ट पर यह विवाद उठाना चाहता हूं। 4 जून को, जब कि देश की संसद् में हजारी रिपोर्ट के सम्बन्ध में विचार हो रहा था, हिन्दुस्तान टाइम्स के एडीटर, श्री मूलगांवकर, ने "शैडज़ आफ़ दि स्टार चैम्बर" के शीर्षक से एक लेख लिखा, जिस को पढ़ कर कोई भी व्यक्ति इस नतीजे पर पहुचे बग़ैर नहीं रह सकता कि सम्पादक महोदय ने इस सदन की गरिमा को बड़ा भारी धक्का लगाया है, इस सदन की तुलना स्टार चेम्बर से कर के इस को अपमानित किया है, इस की मान-हानि की है।

मैं नें इंगलैंड का इतिहास पढ़ा है। मैं स्टार चेम्बर नाम की कोर्ट की कुछ पृष्ठभूमि आप की सेवा में रखना चाहता हूं। चार्लस द्वितीय और चार्लस तृतीय के समय से इंगलैंड में स्टार चेम्बर नाम की एक कोर्ट थी, जिस की छत पर सितारे बने हुए थे। उस कोर्ट में जो सदस्य बैठते थे, वे केवल इधर-उधर की सुनी हुई अफ़वाहों के आधार पर, किसी बात का सबूत लिये बगैर, एक सम्मरी ढंग से लोगों की ट्रायल कर के उन को दंड देते थे और उन पर अत्याचार करते थे। उन लोगों ने बड़े गैर-जिम्मेदार तरीके से व्यवहार करना शुरू किया था। उसी कारण उस समय राजा और संसद् के बीच में एक संघर्ष चला। उस संघर्ष में आखिर में संसद् की विजय हुई और उस ने उस स्टार चेम्बर की कोर्ट को दबाया।

स्टार चेम्बर की कोर्ट से इस संसद् की तुलना कर के सम्पादक महोदय ने यह कल्पना देने की कोशिश की है कि मानों आज का यह हमारा सदन एक गैर-जिम्मेदार लोगों का सदन है, किसी बात की जांच-पड़ताल किये बगैर इस सदन में भीषण और गम्भीर आरोप लगाए जाते हैं। उस लेख में से कुछ उद्धरण पढ़ कर मैं यह सिद्ध करूंगा कि किस प्रकार सम्पादक महोदय ने आज के इस जनतंत्र के प्रभुसत्ता-सम्पन्न सर्वोपरि सदन को लोगों की नजरों में बेइज्जत करने का प्रयत्न किया है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी सम्पादक महोदय को अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है।

परन्तु एक स्वतंत्र देश में जैसा कि कहा गया है कि किसी की भी आजादी उस की नाक से परे नहीं चलती। एक व्यक्ति अब दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालता है या दूसरे के ऊपर इस तरह की नुक्ताचीनी करता है तो उसे यह भी देखना चाहिए कि क्या जिस लोकतं

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, section 2, dated 23-12-67.

†Introduced with the recommendation of the President.